न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र मीणा,आर.ए.एस.
अपील संख्या :– 2/15

अपीलान्ट :–

1. सरोज कंवर पुत्री इन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी कुकनवाली तह0 कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1. मदन कंवर पत्नि इन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी कुकनवाली तह0 कुचामन सिटी।
2. संग्रामसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी कुकनवाली तह0 कुचामन सिटी।
3. विक्रम सिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी कुकनवाली तह0 कुचामन सिटी।
4. सरपंच ग्रामपंचायत कुकनवाली तह0 कुचामन सिटी।
5. ग्राम सचिव ग्राम कुकनवाली पंचायत समिमि कुचामन सिटी।
6. पटवारी पटवार हल्का कुकनवाली तह0 कुचामन सिटी।
7. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी (भूमिधारी) तह0 कुचामन सिटी।

नामान्तकरण अपील नामान्तकरण संख्या 260 दिनांक 22.08.1997 के विरूद्ध ग्राम पंचायत कुकनवाली

75 एल.आर. एक्ट. 1956

वकील अपीलान्ट :– श्री राजेश गुर्जर

अपीलान्ट की अपील संक्षिप्त में निम्न प्रकार है:–

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है एंव स्व0 इन्द्रसिंह के वारिसान है।

ग्राम कुकनवाली तह0 कुचामन सिटी के खसरा संख्या 873 रकबा 12.57 है0, खसरा संख्या 894 रकबा 0.02 है0, खसरा संख्या 895 रकबा 5.05 है0, खसरा संख्या 896 रकबा 5.56 है0, कुल रकबा 23.20 है0 में भूमि स्व. इन्द्रसिंह ने जरिए रजिस्टड 36 बीघा खरीद किया है। इन्द्रसिंह का दिनांक 22.08.1994 को स्वर्गवास हो गया है। उनके जाइन्दा उतराधिकारी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट 1 ता 3 है।

उक्त आराजी 36 बीघा हमारे पिताजी के नाम थी उसमें अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट 1 ता 3 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा बनता है। अपीलान्ट 1/4 हिस्से की जन्म से काबिज खातेदार अधिकार प्राप्त है। उक्त अराजी अपीलान्ट के पिताजी के नाम सहखातेदारी से चली आ रही थी उनके स्वर्गवास हो जाने पर अपीलान्ट का भी 1/4 हिस्सा उनकी सम्पतियों में दर्ज होना था परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 ने अकेले सांठ गांठ कर करवा लिया है।

स्व0 इन्द्रसिंह पुत्र फुलसिंह का स्वर्गवास दिनांक 22.08.1994 को हो जाने पर नामान्तकरण संख्या 260 दिनांक 22.08.1997 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 ने सांठ गांठ मिली भगत करके नाम दर्ज करा लिया एवं अपीलान्ट का नाम खातेदारी में दर्ज होने में छोड़ दिया जो गलत है।

अतः नामान्तकरण अपील पेश कर निवेदन है कि ग्राम कुकनवाली तह0 कुचामन सिटी के खसरा संख्या 873, 894, 895, 896 कुल किता 4 कुल रकबा 23.20 है0 में स्व0 इन्द्रसिंह पुत्र फुलसिंह की जगह फौतगीनामान्तकरण संख्या 260 दिनांक 22.08.1997 को निरस्त फरमावे।

अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट की सुनवाई हेतु तलबी जारी की गई थी। पत्रावली केम्प कोर्ट कुकनवाली में रखी गई एंव अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट को सूचित किया गया नोटिस शामिल मिसल है। पक्षकारान केम्प कोर्ट में उपस्थित वकील अपीलान्ट उपस्थित, अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट को सुना वकील अपीलान्ट ने बहस सुनायी, बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम कुकनवाली के खसरा संख्या 873, 894, 895, 896 कुल रकबा 23.20 हे0 में से 36 बीघा भूमि इन्द्रसिंह

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

पुत्र फुलसिंह ने जरिये रजिस्ट्री खरीद की है तथा इन्द्रसिंह के फौत होने पर उनके वारिसान उनकी पत्नी मदन कंवर, व पुत्र विक्रम सिंह, संग्राम सिंह व पुत्री अपीलान्ट सरोज कंवर है। लेकिन स्व0 इन्द्रसिंह के फौत होने पर फौतगी विरासत का नामान्तकरण संख्या 260 दिनांक 20.08.1997 के द्वारा स्व0 इन्द्रसिंह के नाम की जमीन उनकी पत्नी मदन कंवर व पुत्र विक्रम सिह, सग्राम सिंह के नाम ही अंकित कर दी। उनकी पुत्री का नाम छोड़ दिया, जो संलग्न खतौनी संवत् 2054 से 2057 में अंकित है। हिन्दू लॉ के तहत पैतृक सम्पति में पुत्र पुत्री का समान अधिकार है, इसलिए नामान्तकरण संख्या 260 मात्र 3 व्यक्तियों के नाम भरा गया है। अपीलान्ट का नाम छोड़ दिया गया है, इसलिए उक्त नामान्तकरण संख्या 260 को खारिज फरमावे। वकील अपीलान्ट को सुना एवं केम्प में उपस्थित अपीलान्ट, रेस्पोडेन्ट व मौतबरान से पूछताछ की तो अपीलान्ट को स्व0 इन्द्रसिंह की पुत्री ही बताया तथा पटवारी को मय रिकोर्ड बुलाकर रिकोर्ड का अवलोकन किया, नामान्तकरण संख्या 260 का अवलोकन किया । जिसमें इन्द्रसिंह के फौत होने पर इन्द्रसिंह की पत्नी मदन कंवर व पुत्र विक्रम सिह, संग्राम सिंह के नाम ही नामान्तकरण में भरा गया है, की जाइन्दा पुत्री सरोज कंवर का नाम अंकित नही है, जबकि हिन्दू लॉ के तहत पुत्र पुत्रियों का हिस्सा कानूनन बराबर–बराबर अधिकार है। अपीलान्ट की अपील व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व वकील अपीलान्ट की बहस एवं उपस्थित मौतबरान से पूछताछ का मनन करने पर अपील 12.05.2015 दर्ज होकर सुनवाई की तारीख 28.05.2015 को रखी गयी। राज्य सरकार द्वारा केम्प न्याय आपके द्वार 2015 चलने पर पत्रावली ग्राम कुकनवाली में सुनवाई हेतु रखी गयी, नोटिस शामिल मिसल है। पक्षकारान अपीलान्ट, रेस्पोडेन्ट व उपस्थित मौतबरान आदि की पूछताछ से न्यायालय का मत है कि नामान्तकरण संख्या 260 भरा गया है, वो स्व0 इन्द्रसिंह के सम्पूर्ण वारिसान का नही भरा गया है। मात्र स्व0 इन्द्रसिंह की पत्नी व दो पुत्रो के नाम ही भरा गया है, पुत्री जो अपीलान्ट है, का नाम छोड़ दिया गया है, इसलिए नामान्तकरण संख्या 260 कानूनी तौर पर अवैध होने से निरस्त किया जाता है तथा रिमाण्ड कर तहसीलदार कुचामन सिटी को निर्देशित किया जाता है

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 की गुणावगुण सुनवाई कर कार्यवाही करे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 02.07.2015 को कैम्प कुकनवाली में सरेआम सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)